

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक लेखा, केन्द्रीय कार्यालय सी-7, दूसरी मंजिल, बान्द्रा कुर्ला परिसर, पो.बा.नं.8143, बांद्रा ईस्ट मुम्बई -51
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त महाप्रबंधक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई बैंक।
4. समस्त प्रबंधक, केन्द्रीय पेंशन प्रकीर्णन केन्द्र।
5. सैन्य एवं वायु अटैची, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल।
6. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडीगढ़।
7. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
8. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।
9. समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक।
10. वेतन लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशा. , आर के पुरम् एवं तीसहजारी नई दिल्ली।
11. वेतन लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।
12. डाकपाल कटुआ, ज.व का. एवं कैम्प बेल वे।
13. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशा., पोर्ट ब्लेयर।

विषय: कैबिनेट सचिव की समिति की अनुसंशाओं के कार्यान्वयन पर सरकार का निर्णय— 01.01.2006 से पूर्व सेवामुक्त किये गये अधिकारी बैंक से नीचे के कर्मचारियों का पेंशन पुनरीक्षण।

संदर्भ: परिपत्र संख्या 430 दिनांक 10.03.2010।

विभिन्न पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 01.07.2009 की प्रभावी तिथि से वायु सेना के तीनों ट्रेडों नामतः एससीएच, ग्रउंड ड्यूटी, कैटरिंग सहायक एवं एमटी चालको के पदों को दिनांक 10.10.1997 की प्रभावी तिथि से ग्रुप वाई के बजाय ग्रुप जेड में स्तरोन्नत करने संबंधी विभिन्न शिकायते/अभ्यावेदन विभिन्न पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त हो रहे हैं।

2. अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा रक्षा मंत्रालय के दिनांक 08.03.2018 के पत्रांक 1(4)2012/डी(पेंशन पॉलसी) के अधीन यह नियर्णय लिया गया है कि अधोलिखित ट्रेडों के पेंशन पुनरीक्षण को मंत्रालय के दिनांक 08.03.2010 के पत्रांक पीसी10(1)/2009-डी(पेंशन पॉलसी) के अनुरूप ग्रुप वाई के पुनरीक्षण सारणी के अनुसार पुनरीक्षित किया जाए।

ट्रेड	दिनांक 10.10.1997 की प्रभावी तिथि
एसीएच जीडी, कैटरिंग सहायक और एमटीडी	वेतन ग्रुप 4 समानान्तर ग्रुप वाई

3.उपरोक्त के आलोक में निवेदन है कि ऐसे मामलों में जहां पेंशन संवितरण प्राधिकारी ट्रेड में परिवर्त की वजह से पेंशन को पुनरीक्षित करने में असमर्थ हैं वहाँ संबंधित पेंशन संस्वीकृति अधिकारियों को अपने अभिलेख कार्यालय (जो बाद में सेवा में प्रवेश एवं सेवा से मुक्त होने के समय व्यक्ति का ट्रेड दर्शाता हुआ प्रमाण पत्र/अभिलेख उपलब्ध करायेगा) के माध्यम से उक्त नियम संदर्भित किया जाए जिससे कि यदि आवश्यक हो तो केस के आधार पर कोर पीपीओ जारी किया जा सके।

1. अन्य शर्तें परिस्थितियां समान रहेगी।
2. उपरिलिखित संशोधन संबंधित आदेश के कार्यान्वयन की तिथि से प्रभावी होगा। प्रभावित मामलों में बकाये के भुगता पेंशन संवितरण एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा।
1. यह परिपत्र कार्यालय की वेबसाइट [www.pcdapension.nic.in](http://www.pcdapension.nic.in) पर सभी संबंधितों के बीच प्रसार हेतु उपलब्ध है।

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./0167/XXIX

दिनांक 1.10.2018

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली -11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ़।
9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।

11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय द्वारा आई.एन.एस., सायन- ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द मुम्बई-400086
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी. /एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक, पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
18. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय।
19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
21. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.)।
22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
27. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग
28. प्रभारी अधिकारी जी-3 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी जी-4 अनुभाग
30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
- 36 अतिरिक्त प्रतियां।

(ए.के.मालवीय)  
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)